

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का के आराजी नं० 2341, 2348, 2349, 2350, 2352, 9748/2926, 9778/2225, 1656, 2346, 2926, 4063, 4064, 4077, 2332, 2669 कुल कित्ता 15 रकबा 11.19 बीघा व ग्राम मालीखेडा पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल के आराजी नम्बर 115, 118, 119, 120, 121, 125, 226, 289, कित्ता 08 रकबा 07.17 बिस्वा एवं ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल के आराजी नम्बर 994, 1054, 2643/1054, 2644/994 कित्ता कित्ता 04 रकबा 08.06 बिस्वा भूमि के हक हिस्से तक रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तारीख 24.07.2020 तक जारी की जाती है। उभयपक्ष मौके की यथा स्थिति बनाये रखे बिना विधिक विभाजन के एवं बिना विधिक आदेश के सम्परिवर्तन योग्य कार्य नहीं करें। धारा 0-39-R-3 की पालना करे। हुकम इन्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करे। पत्रावली दिनांक 24.07.2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

24-7-20 पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसे शा० प० दिया गया, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते से उक्त प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते से उक्त प्रकरण इसी स्तर पर श्वारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर मूल कापपत्र के साथ सलज्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

